निर्णय न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा

पीठासीन अधिकारी – महेश गगोरिया (आर0ए0एस0)

प्रकरण सं. –51 / 2022

1. कमली पुत्री स्व0 कैलाश, जाति भील, उम्र बालिग, पेशा काश्त, निवासी मोटूका, तहसील तालेड़ा, जिला बूंदी, राजस्थान।
2. पप्पू लाल पुत्र स्व0 कैलाश, जाति भील, उम्र बालिग, पेशा काश्त, निवासी मोटूका, तहसील तालेड़ा, जिला बूंदी, राजस्थान।
3. बुद्धिप्रकाश पुत्र स्व0 कैलाश, जाति भील, उम्र बालिग, पेशा काश्त, निवासी मोटूका, तहसील तालेड़ा, जिला बूंदी, राजस्थान।
4. लाड़ बाई पत्नी स्व0 कैलाश, जाति भील, उम्र बालिग, पेशा काश्त, निवासी मोटूका, तहसील तालेड़ा, जिला बूंदी, राजस्थान।
5. शान्ति बाई पुत्री स्व0 कैलाश, जाति भील, उम्र बालिग, पेशा काश्त, निवासी मोटूका, तहसील तालेड़ा, जिला बूंदी, राजस्थान।
6. सीता बाई पुत्री स्व0 कैलाश, जाति भील, उम्र बालिग, पेशा काश्त, निवासी मोटूका, तहसील तालेड़ा, जिला बूंदी, राजस्थान।

.................वादीगण

बनाम

1. मदन पिता प्यारा जी भील, उम्र बालिग, पेशा काश्त, निवासी गिरड़िया, ग्राम पंचायत मेघनिवास, पटवार हल्का मेघनिवास, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
2. श्रीमान् भूमिधारी तहसीलदार रावतभाटा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।

.................प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

अधिवक्ता प्रार्थीः– श्री भूपेन्द्र पुरोहित
अप्रार्थी संख्या 01:– श्री लालचन्द जायसवाल व 02 पेरोकार सरकार।

निर्णय दिनांक – 09.01.2025

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि हम प्रार्थीगण के नाम ग्राम गिरड़िया पटवार हल्का मेघनिवास, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान की जमाबंदी सम्वत् 2076–79 की खाता संख्या की खतौनी संख्या 12 नई व पुरानी 13 खसरा संख्या 266/203 कुल किता 01 रकबा 0.5300 है0 लगानी 2.30 रूपये हिस्सा सम्पूर्ण दर्ज रिकॉर्ड है तथा खाता संख्या 11 खसरा संख्या 199, 200, 201 कुल किता 03, रकबा 0.59 है0 लगान 434 रूपये हिस्सा 5/6 [illegible] दर्ज रिकॉर्ड है जो कि वादी के पिता कैलाश की मृत्यु के पश्चात् विरासत से ख[illegible] प्र[illegible] हुई है। वादी के पिता कैलाश जी ने वृद्ध होने से उक्त विवादित [illegible] प्रतिवादी संख्या 01 को पाती पर काश्त हेतु दी थी तथा मुनाफा भी वादी के पिता जी ही लेते रहे उनकी इसी [illegible] दिनांक 03.02.2022 को मृत्यु हो जाने से हमने प्रतिवादी संख्या 01 को हमारी आराजी [illegible] के लिये तथा इस वर्ष का मुनाफा देने के लिये कहा तो लड़ाई–झगड़ा करने पर आमादा हो गया तथा कहा कि कोई जमीन नहीं है जमीन मेरी है अब तुम इस जमीन को भूल जाओ तथा भद्दी–भद्दी गालियाँ भी दी। उक्त आराजी पर आज से एक माह पूर्व हम वादी ट्रेक्टर लेकर हकाई करने गये तो वह हमारे ट्रेक्टर के आड़े फिर गया तथा लड़ाई–झगड़ा करके हमें भगाा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.03.10 15:49:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

दिया झूठे मुकदमे में फंसाने की भी धमकियाँ दी थी। उसके विरूद्ध कोई दाद नहीं चाही गई है तथा प्रतिवादी संख्या 02 भूमिधारी होने से इन्हें पक्षकार बनाया गया है इनके विरूद्ध भी कोई दाद नहीं चाही गई है। अंत में वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर उपरोक्त आराजी से प्रतिवादी संख्या 01 को बेदखल किया जाकर कब्जा वादीगण को दिलाया जावे तथा हर्जा–खर्चा व वकील मेहनताना भी दिलाया जावे तथा अन्य कोई दाद जो न्यायालय वादीगण के हक में उचित समझे दिलाई जाने का निवेदन किया गया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब कर जवाब हेतु प्रतिवादी संख्या 01 को न्यायालय द्वारा प्रर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद जवाब अप्राप्त। प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं करने से प्रतिवादी संख्या 01 का दिनांक 21.02.2024 को जवाब बन्द किया गया। प्रतिवादी संख्या 02 पेरोकार सरकार द्वारा दिनांक 29.11.2024 को जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम गिरडिया प0ह0 मेघनिवास के आराजी संख्या 266/203 रकबा 0.53है0 भूमि पप्पूलाल, बुद्धिप्रकाश, कमली, शान्तिबाई, सीताबाई पिता कैलाश, लाडबाई पत्नि कैलाश भील के नाम खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड है तथा इसी ग्राम गिरडिया के आराजी संख्या 199 रकबा 0.01है0, आराजी संख्या 200 रकबा 0.40है0 एवं आराजी संख्या 201 रकबा 0.18है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.59है0 भूमि पप्पूलाल, बुद्धिप्रकाश, कमली, शान्तिबाई, सीताबाई पिता कैलाश, लाडबाई पत्नि कैलाश भील हिस्सा 5/6, कजोडी पुत्री पैमा भील हिस्सा 1/6 के नाम खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड है। उक्त भूमि के चारो तरफ पत्थर की कच्ची बाउंड्रीवाल बनी हुई है। इस प्रकार कुल रकबा 0.59है0 मे से 0.49है0 पर तथा 0.53है0 कुल 1.02है0 भूमि पर वर्तमान में अप्रार्थीगण मदन पिता प्यारा, कजोडी पुत्री पेमा भील निवासी गिरडिया का कब्जा किया हुआ है। उक्त सामलाती भूमि की मौका रिपोर्ट उपस्थित मौतबिरानों के समक्ष तैयार कर प्रस्तुत है।

वादी ने वाद पत्र के कथन की पुष्टि में दस्तावेजी सबूत के रूप में तहसीलदार रावतभाटा की रिपोर्ट का अवलोकन कराया। प्रकरण में प्रतिवादीगण की ओर से वादपत्र का जवाब प्रस्तुत नही होने से तथा किसी प्रकार का खंडन प्रस्तुत नहीं होने से तनकियात कायम करने की आवश्यकता न होने से प्रकरण में कोई तनकी कायम नहीं की गई।

हमने वाद पत्र पर उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी। वकील वादी ने बहस में वादपत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादपत्र में अंकित विवादित आराजीयात वादीगण के नाम दर्ज रिकार्ड है। जिसका उपभोग उपयोग वादीगण के पिता कैलाश जी द्वारा किया जा रहा था एवं उक्त आराजीयात को बदल बदल कर पांती पर दी जा रही थी और मुनाफा भी उनके द्वारा लिया जा रहा था तथा उनकी मृत्यु के पश्चात जब हम हमारी आराजी को संभालने गये तो प्रतिवादी संख्या 01 लडाई झगडे करने पर उतारू हो गया तथा धमकिया देने लगा और जबरन कब्जा कर लिया। प्रतिवादी संख्या 01 को वादीगण की सहखातेदारी से दर्ज भूमि से बेदखल कर कब्जा वादीगण को दिलाने का निवेदन किया है। जवाब में प्रतिवादी ने उपरोक्त विवादित आराजीयात को अपने कब्जे काश्त की भूमि होना बताया तथा निवेदन किया कि उक्त आराजीयात पर प्रतिवादी बरसों से काश्त करते चले आ रहे है। उक्त भूमि प्रतिवादी की कब्जा काश्त की भूमि पर वादीगण का कोई लेना देना नहीं है, इतने वर्षो पश्चात वादीगण उक्त आराजी को अपनी भूमि बता रहे है। अतः वाद पत्र को मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.03.10 15:49:54 IST
Reason: SelfAttested

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया वकील वादी की बहस पर मनन किया। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत ग्राम गिरडिया की जमाबन्दी के अवलोकन से ग्राम गिरडिया प0ह0 मेघनिवास की खाता संख्या 12 खसरा संख्या 266/203 रकबा 0.53है0 व खाता संख्या 11 खसरा संख्या 199, 200, 201 कुल किता 03 रकबा 0.59है0 हेक्टर के सहखातेदार के रूप

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

में वादीगण के नाम सहखातेदार का अंकन होकर उक्त आराजीयात वादीगण के नाम सहखातेदारी में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, जिससे वादीगण उक्त आराजीयात के खातेदार होना प्रमाणित है। वादी का कथन है कि उक्त खातेदारी की आराजीयात में प्रतिवादी संख्या 01 ने अवैधानिक रूप से कब्जा कर लिया है जिसका कब्जा पुनः वादी को सुपुर्द किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 01 ने वादीगण की सहखातेदारी भूमि पर कब्जा कर लिया है जिससे वादीगण को अपूरणीय क्षति हुई है। प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत से वादी का वाद बाबत ग्राम गिरडिया प0ह0 मेघनिवास की विवादित खसरा संख्या 266/203 रकबा 0.53है0 व खसरा संख्या 199, 200, 201 कुल किता 03 रकबा 0.59है0 के कब्जेयाबी होने का प्रमाणित होने से स्वीकार योग्य पाया जाता है।

—:आदेशः—

अतः वादीगण का वाद पत्र बाबत ग्राम गिरडिया प0ह0 मेघनिवास की विवादित खसरा संख्या 266/203 रकबा 0.53है0 व खसरा संख्या 199, 200, 201 कुल किता 03 रकबा 0.59है0 भूमि पर कब्जेयाबी एवं प्रतिवादी संख्या 01 को वादीगण की भूमि से बेदखल किये जाने की डिक्री पारित करने का स्वीकार किया जाकर वादीगण की सहखातेदारी भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 का कब्जा यदि पाया जाता है, तो प्रतिवादी सख्या 01 के विरूद्ध बेदखली के आदेश दिये जाकर वादीगण के सहखातेदारी की उक्त आराजीयात का कब्जा वादीगण को दिलाए जाने के आदेश पारित किए जाते है।

निर्णय आज दिनांक 09.01.2025 को सुनाया गया। निर्णयानुसार डिक्री जारी की जावे तथा खर्चा पक्षकार अपना अपना वहन करें।

(महेश अगोरिया)
सहायककलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा
जिला चितौड़गढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.03.10 15:49:54 IST
Reason: SelfAttested